सफलता

किसानों के संघर्ष और किसान गर्जना आंदोलन की बड़ी जीत

राज्य सरकार द्वारा भू-अर्जन मुआवजा का गुणांक 2 करने का फैसला

राज्य सरकार 2014 के बाद के सभी भू-अर्जनों पर फैसला लागू कर अतिरिक्त मुआवजा दे

नवभारत, बालाघाट। मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया है कि भू अर्जन कानून 2013 के तहत दिए जाने वाले मुआवजे में गुणांक (मल्टीफिकेशन फैक्टर) को 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया है जिस कारण जमीन का मुआवजा 2 गुना हो जाएगा और इसपर भू अर्जन कानून के तहत 100% तोषण राशि मिलाकर कुल मुआवजा आकलित राशि का चार गुना हो जाएगा। सरकार का यह निर्णय किसान संघर्षों और किसान गर्जना आंदोलन की एक बड़ी जीत है। किसान गर्जना संगठन इस निर्णय का स्वागत करता है और माँग करता है कि इस निर्णय को सन 2014 से हुए अभी तक के सभी भू अर्जन कार्रवाइयों पर लागू कर सभी प्रभावितों को अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए।

किसान गर्जना संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरविंद चौधरी ने बताया कि भू अर्जन कानून 2013 की पहली अनुसूची के क्रमांक 2 के अनुसार किसी भी किसान के आंकलित मुआवजे में एक गुणांक से गुणा किया जाएगा और यह गुणांक शहरी क्षेत्र के लिए 1 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1 से 2 तक होगा। परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने सन 2014 में इस गुणांक को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी 1 ही घोषित किया जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बहुत नुकसान हो रहा था।

किसान गर्जना संगठन ने बार बार सरकार के सामने इस विसंगति को उठाते हुए माँग की कि इस गुणांक को 2 किया जाए। संगठन ने बताया कि केंद्र सरकार, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार आदि राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में इस गुणांक को 2 निर्धारित किया है।

प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गुणांक 2 करने से आंकलित मुआवजा दुगना हो जाएगा और भू अर्जन कानून 2013 के अनुसार 100% तोषण राशि जुड़ने पर कुल 4 गुना हो जाएगा। इस प्रकार पहले तोषण राशि सहित मिलने वाला 2 गुना मुआवजा अब चार गुना हो जाएगा।

किसान गर्जना संगठन राज्य सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता है और आशा करता है कि इस निर्णय को 2014 से अभी तक के सभी भू अर्जन प्रकरणों पर लागू कर सभी किसान प्रभावितों को न्याय दिया जायेगा ।

पुराने भू अर्जन पर भी लागू हो निर्णय

अरविंद चौधरी ने कहा कि भू अर्जन कानून,2013 के तहत 1 जनवरी, 2014 से भू अर्जन प्रक्रिया जारी है। अभी तक गुणांक 1 से ही मुआवजे का आंकलन हुआ है जो कि कानून का उल्लंघन है और इस कारण हजारों किसानो का बहुत नुकसान हुआ है। अत: किसान गर्जना संगठन माँग करता है इस निर्णय को सन 2014 से हुए अभी तक के सभी भू अर्जन प्रकरणों में लागू किया जाए और 2014 से अभी तक हुए सभी भू अर्जनों में गुणांक 2 का उपयोग कर मुआवजे का पुनरांकलन कर सभी प्रभावित किसानों को अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए।

बैहर विधानसभा फतह करने मोहन का मिशन चालू, भगत नेताम बने आयोग के सदस्य

नवभारत, बालाघाट। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव ने विगत 2 कई वर्षों से प्रतीक्षारत आयोग अध्यक्षों के नाम की कल घोषणा किया है जिसके तहत उन्होंने अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के लिए पूर्व विधायक रामलाल रौतेल के नाम पर मुहर लगाई है। वे दो बार अनूपपुर सीट से विधायक रहे और कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

इसी के तहत आयोग के सदस्य के तौर पर बैहर से 2 बार के पूर्व विधायक भगत नेताम को विशेष रूप से इस जाति के समीकरण को साधने हेतु नियुक्ति किया है । ज्ञात हो कि पूर्व में भगत नेताम के पिताश्री स्वर्गीय सुंधवा सिंह नेताम मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रह चुके है ।

नेताम की इस नियुक्ति से ये साबित हो रहा है कि प्रदेश के मुखिया इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में विगत 8 वर्षों से जनता का सेवक के रूप में

उपेक्षित बैहर विधानसभा को सत्ता में लाकर अपने मंत्रीमंडल में शामिल कर क्षेत्र को कई प्रकार की नई ओर जिले बनाने की सौगात देने की फिराक में है । वैसे भी पिछले चुनाव में भगत नेताम तो जीत ही गए थे लेकिन किस्मत ओर आंकड़े ने फेल कर दिया पर इस बार लगता है कि किस्मत का सितारा नेताम के जी के साथ चल रहा है । बरहाल नेताम क्विज नियुक्ति से विपक्ष घबराया हुआ है तो वही क्षेत्र के साथ जिले के चाहने वालों ने घर पहुंचकर भगत भैया को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई के साथ शुभकामनाएं दी है।

26 अप्रैल को राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 का आयोजन

बालाघाट। लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश इंदौर द्वारा राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल 2026 को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। बालाघाट जिले में भी इस परीक्षा के लिए 09 केंद्र बनाए गए हैं। इन केन्द्रों पर 3866 परीक्षार्थी शामिल होंगे।आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार परीक्षा ओएमआर शीट पर आधारित प्रणाली से कराई जाएगी। बालाघाट जिले में परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी। पहला सत्र सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक रहेगा। तथा अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से पहले 90 मिनट पहले ही केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है, ताकि प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

विदेश में पढ़ाई के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति

नवभारत, बालाघाट। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे रहा है। पूरे प्रदेश से 50 विद्यार्थियों का चयन विदेशों में स्नातकोत्तर एवं शोध उपाधि के लिए किया जाता है। कलेक ?टर श्री मृणाल मीना ने जिले के सभी कालेजों के प्राचार्यों से कहा है कि वे पात्र विद्यार्थियों को इस योजना से अवगत कराएं जिससे इच्छुक विद्यार्थी विदेश में उच्च अध्ययन के अवसर का लाभ उठा सकें।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति के जो पात्र विद्यार्थी विदेश में किसी मान्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में यूनिवर्सिटी की फीस की वास्तविक व्यय राशि अथवा 40 हजार अमेरिकन डॉलर इनमें से जो कम हो दिया जाता है। इसके साथ-साथ निर्वाह भत्ता के रूप में 9 हजार अमेरिकन डॉलर और आकस्मिक भत्ते के रूप में एक हजार अमेरिकन डॉलर दिए जाते हैं। इसके साथ-साथ शिक्षण शुल्क, मेडिकल, इंश्योरेंस, वीजा शुल्क तथा हवाई यात्रा किराया भी प्रदान किया जाता है। स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए आवेदन करने पर स्नातक में 60 प्रतिशत से अधिक तथा शोध उपाधि के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करना आवश्यक है। शोध उपाधि के लिए एमफिल की उपाधि अथवा संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष के अध्यापन का अनुभव होना आवश्यक है।

इस संबंध में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती शकुंतला डामोर ने बताया कि आवेदक का मध्यप्रदेश में निवासरत अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है। जिसकी आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुसूचित जनजाति के पात्र विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट www.tribal.mp.gov.in पर उपलब्ध आवेदन पत्र के प्रारूप को प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग 59 आदि भवन अरेरा हिल्स भोपाल अथवा जिला जनजातीय कार्य विभाग में स्वयं भी जमा कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट से पूर्व विधायक अमित जोगी को राहत मिलने पर समर्थकों ने मनाया जश्न

नवभारत, बालाघाट। छत्तीसगढ़ के प्रथम व पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र पूर्व विधायक अमित जोगी के खिलाफ जो छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट से उम्र कैद की सजा का फैसला दे दिया गया था। न्यायालय द्वारा उनकी बिना सुनवाई के सजा सुना दी गई थी। सोशल मीडिया के माध्यम से उसका पूरा देश में तहलका मचा हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी को बहुत बड़ी राहत दी गई है और हाईकोर्ट में जो मामला था उसे रद्द कर अब आगामी कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को राहत मिलने पर उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। गुरूवार की शाम शहर के कालीपुतली चौक में उनके परम मित्र व सर्मथक रहीम खान के नेतृत्व पटाखा फोडक़र मिठाईयां बांटकर जश्न मनाया गया है।

इस दौरान रहीम खान ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा हत्या के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र अमित जोगी की बिना बात सुने व सुनवाई के उम्र कैद की सजा सुना दी गई जो गलत है।

इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमित जोगी को राहत दी है। उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और सत्य एवं न्याय की जीत होगी। इस अवसर पर महेश सहारे, धमेन्द्र कुरील, बबन पिपलेवार, शमीम सिद्दीकी, अल्ला रक्खा, शब्बीर पटेल, फिरोज खान, शाबिर मंसूरी सहित अन्य मौजूद रहे।

विधायक अनुभा मुंजारे के प्रतिनिधियों की बढ़ती मुश्किलें अब जिला पंचायत की बैठक में अनीस खान पर लगा प्रतिबंध

नवभारत, बालाघाट। जिले की राजनीति में इन दिनों उथल-पुथल का दौर जारी है। विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे के प्रतिनिधियों से जुड़े विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में जिला पंचायत बालाघाट द्वारा जारी एक पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी हैं। इस आधिकारिक पत्र के अनुसार, विधायक प्रतिनिधि अनीस खान पर जिला पंचायत की सामान्य सभा की आगामी बैठकों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

वायरल हो रहे पत्र (क्रमांक 4513/कार्या.अधी./जि.पं./2026) दिनांक 17/04/2026 के मुताबिक, 12 मार्च 2026 को जिला पंचायत सभाकक्ष में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष ने की थी। बैठक के दौरान यह पाया गया कि माननीय विधायक प्रतिनिधि अनीस खान द्वारा म.प्र. पंचायतराज मध्यप्रदेश पंचायत सदस्य नियम-1997 की कंडिका-5 (प्रतिनिधि का आचरण) के नियमों की अवहेलना की गई है।

?अनीस खान के व्यवहार और नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत की सामान्य सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के आधार पर माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अनीस खान पर आगामी बैठकों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ष्टश्वह्व) द्वारा इस संबंध में विधायक अनुभा मुंजारे को विधिवत सूचना भी प्रेषित की गई है।यह पहली बार नहीं है जब विधायक अनुभा मुंजारे के करीबी प्रतिनिधि विवादों के घेरे में आए हों। पिछले कुछ समय में उनके कई प्रतिनिधियों को अनैतिक आचरण और ऑडियो क्लिप वायरल होने के कारण अपने पदों से हाथ धोना पड़ा है।

निराला सिंह बघेले (पूर्व निज सहायक)- सबसे पहले विधायक के निज सहायक निराला सिंह बघेले का एक सरपंच प्रतिनिधि के साथ बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। बातचीत की भाषा और लहजे पर उठे सवालों के बाद विधायक मुंजारे ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें पदमुक्त कर दिया था।

डिप्टी कलेक्टर तिवारी को किरनापुर एसडीएम का प्रभार

नवभारत, बालाघाट। कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने प्रशासनिक कार्य व्यवस्था की दृष्टि से डिप्टी कलेक्टर श्री आदित्य नारायण तिवारी को किरनापुर एसडीएम का प्रभार सौंपा है। डिप्टी कलेक्टर श्री तिवारी ने 21 अप्रैल को किरनापुर एसडीएम का पदभार ग्रहण कर लिया। किरनापुर में एसडीएम का कार्यभार संभाल रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री आकाश अग्रवाल के 02 माह के प्रशिक्षण पर जाने के कारण डिप्टी कलेक्टर श्री तिवारी को किरनापुर एसडीएम का प्रभार सौंपा गया है।

22 अप्रैल 2026 को रेस्ट हाउस किरनापुर में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व एसडीएम आकाश अग्रवाल का विदाई एवं नवागत एसडीएम आदित्य नारायण तिवारी का स्वागत समारोह संयुक्त रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर श्री आकाश अग्रवाल के कार्यकाल की सराहना की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं नवागत एसडीएम श्री तिवारी का पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया।

अपने संबोधन में श्री तिवारी ने सभी के सहयोग से क्षेत्र के विकास एवं प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम का माहौल आत्मीयता और सम्मान से भरा रहा, जहां एक ओर विदाई की भावुकता थी, वहीं दूसरी ओर नए नेतृत्व के प्रति उत्साह भी देखने को मिला।

जिम्मेदार शासन की योजनाओं को लगा रहे पलीता

ग्राम पंचायत पुलपुट्टा में सब अस्त-व्यस्त

नवभारत कटंगी 23 अप्रैल। शासन प्रशासन जनहितकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर पंचायतों में रोजगार देकर जनता की आर्थिक मदद करते आ रही है, वहीं जिम्मेदार उन योजनाओं में पलीता लगा रहे हैं। ऐसे अनेक मामले खैरलांजी की ग्राम पंचायत पुलपुट्टा में उजागर हुए हैं।

पंचायत में पेंशन के लिए हितग्राही पंचायत भवन के चक्कर लगाकर थक गए हैं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।पुलपुट्टा में आधा दर्जन से अधिक पेंशनधारी है जिनको अगस्त सितम्बर से पेंशन नहीं मिली है, जो पंचायत भवन के चक्कर लगा रहे हैं। इसमें ऐसे हितग्राही भी है किसी को आंखों से नहीं दिखता तो कोई चल नहीं सकता।

बुजुर्गों को नहीं मिल रही पेंशन

जानकारी अनुसार समग्र केवाईसी नहीं होने से रायवंता ताराचंद तांडेकर, लीला तुकाराम बिटले, झुनीबाई, सिंधु उईके, रामा बरकड़े, सकू श्रावण और अन्य को पेंशन नहीं मिल रही है, जबकि शासन से प्रपत्र आया था, जिसमें सरपंच सचिव को भौतिक सत्यापन करने का अधिकार दिया गया था।

मनरेगा का मजदूरों को भुगतान नहीं

मनरेगा और पंचायत को प्राप्त फंड से हुए सीसी सड़क और नाली निर्माण की मजदूरी का भुगतान मजदूरों को अभी तक नहीं मिला है। दिसम्बर 2025 में बनी सीसी सड़क और नाली निर्माण की मजदुरी राशि मजदूरों को नहीं मिलने से बड़ी समस्या हो रही है। ग्राम पंचायत पुलपुट्टा में मनरेगा के मिट्टी वाले कार्य जून 2025 से बंद है। ग्राम में मटेरियल वाले ही कार्य हो रहे हैं।

सरपंच की हो चुकी है दो बार शिकायत

ग्राम पंचायत पुलपुट्टा के सरपंच विजय सोनवाने की दो बार शिकायत हो चुकी है। जहां जिला सिईओ के यहां 7.50 लाख के गबन का मामला विचाराधीन है। उसके बाद उपसरपंच और पंच भी सरपंच के खिलाफ जिला सीईओ और कलेक्टर को शिकायत दे चुके हैं। जहां सरपंच अब किसी अन्य कार्य जो मजदूर हित के हो में रूची न लेकर मटेरियल वाले कार्य कर रहा है।

इनका कहना है

पेंशनधारी पेंशन के लिए और मजदूर मजदूरी को तरस रहे हैं। ग्राम में जो भी विकास कार्य होता है उसकी शिकायत हो जाती है, जिससे सरपंच कोई भी कार्य करने से कतरा रहे हैं।

संजय तांडेकर, मेट, पुलपुट्टा पंचायत

गोरेघाट में दिलाई गई जल संरक्षण की शपथ

जल गंगा संवर्धन अभियान को मिली नई गति

नवभारत कटंगी 23 अप्रैल। प्रदेश एवं जिले में संचालित 'जल गंगा संवर्धन अभियान 2026' के तहत जन अभियान परिषद द्वारा जल संरक्षण को लेकर जन-जागरूकता गतिविधियां लगातार संचालित की जा रही हैं।

इसी क्रम में महकेपार सेक्टर-5 अंतर्गत ग्राम गोरेघाट में जल समस्या को ध्यान में रखते हुए आयोजन किया गया। कलेक्टर मृणाल मीना एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं जन अभियान परिषद जिला समन्वयक के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों के साथ जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन तथा ग्राम की छोटी नदियों और नालों में जल सुरक्षित रखने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।

स्थानीय जल स्रोतों का पुनर्जीवन आवश्यक

उपस्थित ग्रामीणों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि वर्षा ऋतु से पूर्व स्थानीय जल स्रोतों का पुनर्जीवन आवश्यक है, जिससे भविष्य में जल संकट की स्थिति से बचा जा सके। जल संवाद के दौरान ग्रामवासियों ने ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सहयोग से जल संरक्षण के लिए सामूहिक श्रमदान करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में नवांकुर संस्था के तत्वाधान में परामर्शदाता अवलेश पारधी के द्वारा द्वारा ग्रामीणों को 'जल शपथ' दिलाई गई। ापन करना था कि पेंशनधारी जीवित है और वयोवृद्ध होने से फिंगर नहीं आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में पंचायत से जनपद खैरलांजी को 31 दिसंबर 2025 को अवगत करा दिया गया था पर चार माह बीत जाने पर भी पेंशन नहीं आना बड़ा विचारणीय है।

नेशनल लोक अदालत को लेकर अधिवक्ताओं की बैठक - नवभारत, बालाघाट। आगामी 09 मई 2026 (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल संचालन को लेकर जिला स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्राणेश कुमार प्राण के मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार आयोजित की गई,

अवैध प्रथाएं बच्चों के भविष्य के लिए है खतरा : शबाना खान

शासकीय कन्या विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

नवभारत कटंगी, 23 अप्रैल। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की घटनाओं को रोकने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बुधवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटंगी में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर और जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शबाना खान ने की। कार्यक्रम सुबह 10:15 बजे शुरू

हुआ जिसमें विद्यालय के प्राचार्य डहरवाल समेत सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं और सैकड़ों छात्राएं मौजूद रहीं।

अक्षय तृतीया पर क्यों बढ़ते हैं बाल विवाह?

न्यायिक मजिस्ट्रेट शबाना खान ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अक्षय तृतीया के त्यौहार का ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बाल विवाह कराने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। लोग इसे शुभ मुहूर्त मानकर नाबालिग बच्चों की शादी करा देते हैं। उन्होंने चेताया कि ये अवैध प्रथाएं बच्चों के मौलिक अधिकारों, शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य के लिए गंभीर खतरा हैं।

छात्राओं को दी पॉक्सो एक्ट की जानकारी

इसके अलावा छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून, साइबर सुरक्षा, महिला एवं बाल अपराध* से जुड़े कानूनों की भी जानकारी दी गई। मौलिक अधिकारों और नागरिकों के मूल कर्तव्यों पर भी चर्चा हुई।

इनका रहा विशेष योगदान

कार्यक्रम को सफल बनाने में न्यायालयीन कर्मचारी देवेन्द्र ठाकरे, कोर्ट मोहर्रिर छत्रपाल बघेल, सना खान एवं सुनील डाकरे का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विद्यालय प्रबंधन ने भी पूरा सहयोग दिया।

कहां करें शिकायत?

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपील की है कि यदि कहीं बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 100 नंबर पुलिस या नजदीकी तहसील विधिक सेवा समिति को सूचित करें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई के साथ-साथ संज्ञेय अपराध है।

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति मोहगांव जिला-बालाघाट (म.प्र.)

क्रं ./मंडी/तौलकांटा/2026-27/47 मोहगांव, दिनांक :- 23/04/2026

:- निविदा आमंत्रण सूचना:-

कृषि उपज मंडी समिति मोहगांव "घ "श्रेणी मंडी द्वारा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी) के तहत संरचना की स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर निविदा सिस्टम क्रमांक 2026_MPSAM_502279_1 के अंतर्गत ऑनलाईन निविदायें दिनांक 14.05.2026 को शाम 3.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म०प्र० शासन के ई-निविदा के पोर्टल https://mptenders.gov.in पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल www.mpmandiboard.co.in पर भी अवलोकनीय होगी।

नोट :- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी। **सचिव**

कृषि उपज मंडी समिति मोहगांव

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति लालबर्रा जिला-बालाघाट (म.प्र.)

क्रं ./मंडी/तौलकांटा/2026-27/64 लालबर्रा, दिनांक :- 23/04/2026

:- निविदा आमंत्रण सूचना:-

मंडी द्वारा कृषि उपज मंडी समिति लालबर्रा "घ" श्रेणी ई-टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) के तहत संरचना की स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर निविदा सिस्टम कमांक 2026_MPSAM_502208_1 के अंतर्गत ऑन लाईन निविदायें दिनांक 14.05.2026 को शाम 3.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल https://mptenders.gov.in पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल www.mpmandiboard.co.in पर भी अवलोकनीय होगी।

नोट :- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

सचिव

कृषि उपज मंडी समिति लालबर्रा